रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-06012026-269139
SG-DL-E-06012026-269139

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 08]	दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 6, 2026/पौष 16, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 403
No. 08]	DELHI, TUESDAY, JANUARY 6, 2026/PAUSHA 16, 1947	[N. C. T. D. No. 403

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिल्ली, 6 जनवरी, 2026

फा. सं. 21/6/Court Fees (D.A)/2026/LAS-VIII/Legn./16084.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता हैः—

न्यायालय शुल्क (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 2026

2026 का विधेयक संख्या 01

(जैसाकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में दिनांक 6 जनवरी, 2026 को पुरःस्थापित किया गया)

2026 की विधेयक संख्या 01

न्यायालय शुल्क (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 2026

एक

विधेयक

न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 (1870 का 07)में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रवर्तन के लिए आगे संशोधन करने हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित "रूप से अधिनियमित होः

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ :– (1) इस अधिनियम को "न्यायालय शुल्क (दिल्ली संशोधन) अधिनियम, 2026" कहा जाएगा।

(2) यह अधिनियम दिल्ली राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

2. धारा 16 का प्रतिस्थापनः– न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 (1870 का 07) में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इसके प्रवर्तन में धारा 16 को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगाः

"धारा 16– शुल्क की वापसीः– यदि किसी वाद या अपील के पक्षकार किसी भी अवस्था में आपसी सहमति से अपना विवाद सुलझा लेते हैं , चाहे न्यायालय के हस्तक्षेप से या बिना हस्तक्षेप के, तथा चाहे दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का अधिनियम सं. 5) की धारा 89 में उल्लिखित किसी भी विवाद निपटान विधि को अपनाकर या बिना अपनाए, और उक्त वाद (जिसमें प्रत्यावेदन, यदि कोई हो, सम्मिलित है) या अपील को न्यायालय द्वारा सुलह / समझौते के रूप में निपटाया जाता है, तो वादी/प्रत्यावेदक को न्यायालय से एक प्रमाणपत्र प्राप्त करने का अधिकार होगा, जिसके आधार पर वह कलक्टर/संबंधित अधिकारी से उक्त वादपत्र/प्रत्यावेदन पर अदा किया गया पूरा शुल्क वापस प्राप्त कर सकेगा।"

3. धारा 16ए का लोपः– न्यायालय शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2010 द्वारा प्रविष्ट की गई धारा 16ए, जो दिल्ली राजपत्र (असाधारण) अधिसूचना संख्या फ.14(22)एल.ए.–2008/डब्ल्यू.ए.डब्ल्यू./17, दिनांक 11 फरवरी, 2010 द्वारा अधिसूचित की गई थी, लोप की जाएगी।

प्रवेश साहिब सिंह, मंत्री (विधायी कार्य)

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

कोर्ट-फीस अधिनियम, 1870 (1870 का 7) एक केन्द्रीय अधिनियम है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रवर्तित है। इस अधिनियम की धारा 16A, धारा 16 तथा धारा 16A के अंतर्गत न्यायालय शुल्क की वापसी चाहने वाले व्यक्तियों के बीच एक मनमाना भेद उत्पन्न करती है और इस कारण यह भारत के संविधान के प्रतिकूल (असंवैधानिक) है। अतः धारा 16 में संशोधन करने तथा कोर्ट-फीस (दिल्ली संशोधन) अधिनियम, 2010 के माध्यम से जोड़ी गई धारा 16A को विलोपित करने का प्रस्ताव किया जाता है। यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रवेश साहिब सिंह, मंत्री (विधायी कार्य)

प्रतिनियोजित विधान संबंधी ज्ञापन

कोर्ट-फीस (दिल्ली संशोधन) अधिनियम, 2026 किसी भी पदाधिकारी को अधीनस्थ विधान बनाने की शक्ति प्रदान करने का प्रस्ताव नहीं करता है।

प्रवेश साहिब सिंह, मंत्री (विधायी कार्य)

वित्तीय ज्ञापन

कोर्ट-फीस अधिनियम की धारा 16 में संशोधन से संबंधित प्रस्तावों के कार्यान्वयन हेतु औसतन वार्षिक व्यय रुपये 1,64,79,035 (एक करोड़ चौंसठ लाख उन्नासी हजार पैंतीस) अनुमानित है। यह राशि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विगत तीन वित्तीय वर्षों के विवरण प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् गणना की गई है, जिसमें कोर्ट-फीस अधिनियम, 1870 की धारा 16A के अंतर्गत समझौते के आधार पर न्यायालय शुल्क की वापसी के रूप में भुगतान की गई कुल राशि का उल्लेख है।

प्रवेश साहिब सिंह, मंत्री (विधायी कार्य)

रंजीत सिंह, सचिव

DELHI LEGISTATIVE ASSEMBLE SECRETARIAT

NOTIFICATION

Delhi, the 6th January, 2026

No. F. 21/6/Court Fees (D.A)/2026/LAS-VIII/Legn./16084.—The following is published for general Information:—

THE COURT FEES (DELHI AMENDMENT) BILL, 2026

BILL No. 01 OF 2026

(As introduced in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 6th January, 2026)

BILL No. 01 OF 2026

THE COURT FEES (DELHI AMENDMENT) BILL, 2026

A

BILL

further to amend the Court Fees Act 1870 (07 of 1870), in its application to the National Territory of Delhi.

BE it enacted by Legislative Assembly of Delhi Parliament in the Seventy-sixth year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Court Fees (Delhi Amendment) Act 2026.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Delhi Gazette.

2. Substitution of section 16.- The section 16 of the Court Fees Act 1870 (07 of 1870), in its application to National Territory of Delhi, shall be amended as under;-

"Section 16 - Refund of Fee:- Where the parties to a suit or appeal, at any stage of such suit or appeal, settle their dispute amicably, with or without the intervention of the Court and with or without invoking any of the modes of settlement of dispute, referred to in section 89 of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) and the said suit including Counter-claim, if any, or appeal is disposed of as settled/compromised by the court, the plaintiff/Counter- claimant shall be entitled to a certificate from the Court authorizing him to receive back from the collector/competent officer, the full amount of fee, paid in respect of such plaint/counter claim."

3. Omission of section 16A.- Section 16A inserted vide the Court Fees (Delhi Amendment) Act 2010 notified in Delhi Gazette-Extra Ordinary, vide Notification No F.14(22)/LA-2008/WAW/17. Dated the 11th February, 2010, shall be omitted.

PRAVESH SAHIB SINGH, Minister (Legislative Affairs)

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Court Fees Act, 1870 (7 of 1870) is a Central Act as in force in the National Capital Territory of Delhi. Section 16A of the Act is creating an arbitrary distinction between persons who seeks refund of court fees under Section 16 and Section 16A of the Court Fees Act, 2010, and therefore is ultra vires to the Constitution of India. Accordingly, it is proposed to amend the section 16 and omit section 16A inserted vide the Court Fees (Delhi Amendment) Act, 2010.

The Bill seeks to achieve the above objects.

PRAVESH SAHIB SINGH, Minister (Legislative Affairs)

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

The Court Fees (Delhi Amendment) Act, 2026 does not seek to confer power on any functionary to make subordinate legislation.

PRAVESH SAHIB SINGH, Minister (Legislative Affairs)

FINANCIAL MEMORANDUM

For the implementation of the proposals to consider amendment of section 16 of the Court Fees Act, 1870 (07 of 1870) there will be an average annual expenditure of Rupees: 16479035.

This amount has been calculated after the submission of details of last 3 financial years by Hon'ble High Court wherein total sum paid qua refund of court fees on settlement in terms of section 16 A of Court Fees Act, 1870 is provided.

PRAVESH SAHIB SINGH, Minister (Legislative Affairs)

RANJEET SINGH, Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.01.06 23:31:11 +05'30'